संख्याः–266/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषयः– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश **दिनांक 01.01.2016** से प्रभावी समझे जाएगें।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08.08.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत आच्छादित शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3– (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर भी लागू होगीं, जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हों।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/डैथ एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4– (1) <u>परिलब्धियॉ–</u> पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/डैथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) <u>वेतन–</u> वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–3 के अनुसार मूल वेतन से तात्पर्य संशोधित ढॉचे में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर (Level) में आहरित वेतन से है। जिसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन आदि सम्मिलित न होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ–कम–ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5– <u>**पेंशन–**</u> पेंशन का आगणन पूर्व की भॉति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा। पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू. 9000/– होगी। पेंशन की अधिकतम सीमा रू. 112500/– (राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन रू. 225000/– के 50% के बराबर) होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7– <u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

या 10 माह की औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(4) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

8– <u>सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी–</u>

(अ) मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगीः–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ब) सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/डैथ ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

9– <u>पारिवारिक पेंशन–</u>

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रू0 2,25,000/– के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सीमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत् अनुमन्य होगीः–

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु ''परिवार'' की परिभाषा पूर्ववत समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

10– **पेंशन के एक भाग का राशिकरण–** पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महॅगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– /45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः–267/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषयः– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश **दिनांक 01.01.2016** से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जाएगा।

2– <u>इन आदेशों के अन्तर्गतः–</u>

(क)– वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31.12.2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)– वर्तमान पेंशन' अथवा 'वर्तमान पारिवारिक पेंशन' का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) अथवा मूल पारिवारिक पेंशन जैसा कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर

निर्धारणोपरान्त, वर्तमान पेंशनर अथवा वर्तमान पारिवारिक पेंशनर को देय हो, से है । इसमें 80 वर्ष एवं अधिक की आयु पर देय अतिरिक्त पेंशन शामिल नहीं होगी।

3– ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुये पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा, जिसे दिनांक 01.01.2016 के सन्दर्भ में मूल पेंशन माना जायेगा।

उदाहरण 1 :– माना कि पेंशनभोगी '**अ**' छठवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन बैण्ड 37400–67000 ग्रेड वेतन 10000 से दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू 65250 था।

छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	32625
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (32625X2.57)	83846.25 या 83847

उदाहरण 2 :– माना कि पेंशनभोगी '**ब**' चतुर्थ वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतनमान 3000–100–3500–125–4500 से दिनांक 31 जनवरी, 1989 को सेवानिवृत्त हुआ एवं सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन रू 4000 था।

चौथे वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	1940
छठवें वेतन आयोग के आधार पर पूर्व निर्धारित पेंशन	12600
सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन (12600X2.57)	32382

4– यदि राशिकरण भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण न हुये हों तो उपरोक्तानुसार निर्धारित पेंशन के भुगतान के समय राशिकृत पेंशन की धनराशि घटा कर मासिक पेंशन दी जायेगी।

5– दिनांक 01.01.2016 से पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू 9,000/– (बुजुर्ग पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) होगी। पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन धनराशि रू0 2,25,000/– के क्रमशः 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत के बराबर होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
100 या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

टिप्पणी– (1)–अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/– प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 2,000/–, 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, (i) मूल पेंशन रू0 10,000/– (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0 3,000/– प्रतिमाह होगी।

(2)–उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार–पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से अंकित करेगें।

7– जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हों तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो, तो दिनांक 01.01.2016 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भांति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखी जाय।

8– **मंहगाई राहतः–** इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महॅगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

9– इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने जाने की अपेक्षा न की जाये।

10– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– /45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 91 /XXVII(6)/20015, दिनांक 17 मार्च, 2015 का प्रस्तर –8 का

परिशिष्ट–1

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण–पत्र जो आहरण वितरिण अधिकारी द्वारा ई–पेंशन प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जायेगा।

1. सरकारी सेवक/पेंशनर का नाम.....
2. सरकारी सेवक का यूनिक कर्मचारी कोड.....
3. सरकारी सेवक/पेंशनर के मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशनर का नाम.....
4. सरकारी सेवक से पारिवारिक पेंशनर का सम्बन्ध.....
5. पारिवारिक पेंशन के दशा में सरकरी सेवक के मृत्यु का दिनांक.....
6. सरकार सेवक का अन्तिम पदनाम व विभाग/कार्यालय का नाम.....

   .....
7. सरकारी सेवक/पेंशनर की पति/पत्नी के साथ संयुक्त फोटा (मृत्यू होने की दशा अथवा पारिवारिक पेंशनर होने में एकल फोटो)

पासपोर्ट आकार की फोटो

(फोटो को आधे भाग तक कार्यालयाध्क्ष/उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यालय की मुहर)

8. सरकारी सेवक/पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की पहचान चिन्ह.....
9. सरकारी सेवक/पेंशनर के हस्ताक्षर
10. पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशाान
11. पेंशनर का आधार नम्बर

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर,नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मोहर सहित

17/3/15

00307
04-05-2020

संख्या : 90 / XXVII (10) / 2019–27(8)2017

समस्त कोषागारों को प्रचालित करायें। पोर्टल में भी अपलोड करायें
SA AAO

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10

देहरादून : दिनांक : 30 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2020

विषय :विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 64 / XXVII(10) / 27(08)2017 / 2019 दिनांक 27.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से आच्छादित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया है।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38 / 37 / 2016–P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिको के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेशन / पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन / पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन में से जो भी अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। इसी आशय का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1–1 / 2017–यू.।। दिनांक 11.06.2018 मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी जारी किया गया है।

3. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत मुझे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय / तकनीकी संस्थानों व अन्य ऐसे संस्थान जिनमें यू0जी0सी0 के वेतनमान लागू हैं, से सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस शिक्षक की

क्रमशः पृष्ठ–2

सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब–जब केन्द्रीय वेतन आयोग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब–तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4. उक्तानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व की अवधि के लिये कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षण पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 01.02.2020 से किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन के दिनांक 01.01.2016 से 31.1.2020 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में समान दो किश्तों में किया जायेगा।

5. प्रकल्पित आधार पर विभिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण संलग्न प्रारूप पर सम्बन्धित कुलसचिव/वित्त अधिकारी/प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा करते हुये पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा, जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन मूलरूप से स्वीकृत की गई है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– 90 /xxvii(10)/2019/27(08)17 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कुलसचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड। (निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से)
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्याः ..... (b) बैंक अकाउंट नं0.....

(c) पेंशनर का नामः.....(d) पेंशन का प्रकार.....(अधिवर्षता / पारिवारिक)

(e) पी0पी0ओ0 संख्याः.....(f) पद का नामः.....

(g) आहरण वितरण अधिकारी कोडः.....(h) विभाग का नामः.....

(i) जन्म तिथिः.....(j) नियुक्ति की तिथिः.....

(k) सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथिः.....(l) अर्ह सेवा अवधिः .....वर्ष.....माह.....दिन

(m) पैन नं0:.....(n) मोबाइल नं0:.....

(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नामः.....(p) जन्म तिथि .....

(q) पैन नं0:.....(r) मोबाइल नं0:.....

1. **सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन / पेंशन –**

(a) सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोगः.....

(b) वेतनमानः.....(c) वेतनः.....

(d) मूल पेंशनः.....(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर.....) तक.....

(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर.....) से.....

2. **प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –**

क0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पाँचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवा वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष / आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डीः

लेखाकार　　स0कोषाधिकारी　　मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी

संख्या — /2017/ XXVII/45(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3— मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
5— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 05 जून, 2018

विषयः–वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या–138/2017/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 15 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01–01–2016 से पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर,2016 तक की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की पुनरीक्षित पेंशन के 50 प्रतिशत अवशेष (Arrear) धनराशि का अंतिम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 170/2017/XXVII/45(10)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी 23 लक्ष्मीरोड, डालनवाला, देहरादून।
6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– अध्यक्ष, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड देहरादून।
9– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या :205/XXVII (10)/2018–27(8)2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 15, अक्टूबर, 2018

विषय :सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/45/XXVII/2016 दिनांक 30.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिक के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। साथ ही, पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

3. उक्तानुसार पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 06, जुलाई, 2017 द्वारा 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 व 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के सम्बन्ध में वेतन प्रकमवार तालिकायें निर्गत की हैं।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

5. प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्तमान में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार पोर्टल से संलग्न प्रारूप पर ऑनलाईन करते हुये वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पेंशन भुगतानकर्ता जनपद कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे। तत्पश्चात कोषागार/उपकोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के मूल पी0पी0ओ0 पर उक्तानुसार आंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अंकित कर भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन का विवरण पेंशनर व पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कोई एरियर देय नहीं होगा तथा पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

क्रमशः पृष्ठ–3

शासनादेश संख्याः 205/XXVII(10)/2018/27(08)17 दिनांक 15.10.2018 का संलग्नक।

पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्याः ..... (b) बैंक अकाउंट नं0.....

(c) पेंशनर का नामः.....(d) पेंशन का प्रकार.....(अधिवर्षता/पारिवारिक)

(e) पी0पी0ओ0 संख्याः.....(f) पद का नामः.....

(g) आहरण वितरण अधिकारी कोडः.....(h) विभाग का नामः.....

(i) जन्म तिथिः.....(j) नियुक्ति की तिथिः.....

(k) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथिः.....(l) अर्ह सेवा अवधिः .....वर्ष.....माह.....दिन

(m) पैन नं0:.....(n) मोबाइल नं0:.....

(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नामः.....(p) जन्म तिथि .....

(q) पैन नं0:.....(r) मोबाइल नं0:.....

1. सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन/पेंशन –

(a) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोगः.....

(b) वेतनमानः.....(c) वेतनः.....

(d) मूल पेंशनः.....(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर.....) तकः.....

(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर.....) सेः.....

2. प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –

क्र0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पाँचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवा वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डीः

लेखाँकार　　स0कोषाधिकारी　　मुख्य/वरिष्ठ/
कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

संख्या :205/XXVII (10)/2018–27(8)2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 15, अक्टूबर, 2018

विषय :सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/45/XXVII/2016 दिनांक 30.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिक के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। साथ ही, पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

3. उक्तानुसार पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 06, जुलाई, 2017 द्वारा 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 व 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के सम्बन्ध में वेतन प्रकमवार तालिकायें निर्गत की हैं।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

5. प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्तमान में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार पोर्टल से संलग्न प्रारूप पर ऑनलाईन करते हुये वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पेंशन भुगतानकर्ता जनपद कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे। तत्पश्चात कोषागार/उपकोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के मूल पी0पी0ओ0 पर उक्तानुसार आंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अंकित कर भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन का विवरण पेंशनर व पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कोई एरियर देय नहीं होगा तथा पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

क्रमशः पृष्ठ–3

शासनादेश संख्याः 205/XXVII(10)/2018/27(08)17 दिनांक 15.10.2018 का संलग्नक।

पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्याः ..... (b) बैंक अकाउंट नं0.....

(c) पेंशनर का नामः.....(d) पेंशन का प्रकार.....(अधिवर्षता/पारिवारिक)

(e) पी0पी0ओ0 संख्याः.....(f) पद का नामः.....

(g) आहरण वितरण अधिकारी कोडः.....(h) विभाग का नामः.....

(i) जन्म तिथिः.....(j) नियुक्ति की तिथिः.....

(k) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथिः.....(l) अर्ह सेवा अवधिः .....वर्ष.....माह.....दिन

(m) पैन नं0:.....(n) मोबाइल नं0:.....

(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नामः.....(p) जन्म तिथि .....

(q) पैन नं0:.....(r) मोबाइल नं0:.....

1. सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन/पेंशन –

(a) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोगः.....

(b) वेतनमानः.....(c) वेतनः.....

(d) मूल पेंशनः.....(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर.....) तकः.....

(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर.....) सेः.....

2. प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –

क्र0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पाँचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवा वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डीः

लेखाँकार　　स0कोषाधिकारी　　मुख्य/वरिष्ठ/
कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

संख्याः–266/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषयः– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश **दिनांक 01.01.2016** से प्रभावी समझे जाएगें।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08.08.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत आच्छादित शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3– (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर भी लागू होगीं, जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हों।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/डैथ एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4– (1) <u>परिलब्धियॉ–</u> पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/डैथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) <u>वेतन–</u> वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम–3 के अनुसार मूल वेतन से तात्पर्य संशोधित ढॉचे में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर (Level) में आहरित वेतन से है। जिसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन आदि सम्मिलित न होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डेथ–कम–ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5– <u>**पेंशन–**</u> पेंशन का आगणन पूर्व की भॉति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा। पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू. 9000/– होगी। पेंशन की अधिकतम सीमा रू. 112500/– (राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन रू. 225000/– के 50% के बराबर) होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7– <u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

या 10 माह की औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(4) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/–प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

8– <u>सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी–</u>

(अ) मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगीः–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ब) सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/डैथ ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

9– <u>पारिवारिक पेंशन–</u>

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/– प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रू0 2,25,000/– के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सीमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत् अनुमन्य होगीः–

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु ''परिवार'' की परिभाषा पूर्ववत समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

10– **पेंशन के एक भाग का राशिकरण–** पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महॅगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्याः– /45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

पेंशन / पारिवारिक पेंशन / उपादान / राशिकरण स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्र

(पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी की प्रति)

आवश्यक सूचना :– पेंशन प्रपत्रों को भरने से पूर्व उनमें दिये गये प्रस्तरवार विवरणों को तथा कार्यालय प्रति में भाग–6 के खण्ड–1 तथा खण्ड–2 में दिये गये निर्देशों को अवश्य पढ़ लिया जाय और तद्नुसार सावधानीपूर्वक प्रपत्र भरे जायं।

*पेंशन/पारिवारिक पेंशन अग्रसारण–पत्र

प्रेषक,

_____

_____

फोन संख्या _____
फैक्स संख्या _____

_____

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
देहरादून,
शिविर कार्यालय, हल्द्वानी।

पत्रांक / दिनांक

विषयः–श्री/श्रीमती _____ पदनाम _____
के *पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के सन्दर्भ में।

महोदय,

श्री/ श्रीमती _____ पदनाम _____
विभाग/संस्था _____
से दिनांक _____ को सेवानिवृत्त* हो रहे/रही हैं हो चुके/चुकी हैं । इनके पेंशन की स्वीकृति हेतु पेंशन प्रपत्रों का एक सेट तथा अन्य वांछित अभिलेख संलग्न कर *पंजीकृत डाक से/अधिकृत विशेष वाहक के माध्यम से सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जा रहे हैं।

*अथवा

दिनांक _____ को दिवंगत हो चुके हैं/चुकी हैं। इनके पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु पेंशन प्रपत्रों का एक सेट तथा अन्य वांछित अभिलेख संलग्न कर *पंजीकृत डाक से/अधिकृत विशेष वाहक के माध्यम से सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जा रहे हैं।

*अथवा

पेंशन प्रपत्रों के तीन सेट तथा अन्य वांछित अभिलेख संलग्न कर *पंजीकृत डाक से/अधिकृत विशेष वाहक के माध्यम से सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि श्री/ श्रीमती _____
के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक देयों की स्वीकृति के प्राधिकार–पत्र सम्बन्धित कोषागार उत्तराखण्ड को भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

*अथवा

अन्य राज्य _____ के कोषागार _____ को भुगतान हेतु प्राधिकार–पत्र महालेखाकार के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– 1–पेंशन प्रपत्र सेट की *एक प्रति/तीन प्रति।
2–सेवा पुस्तिका-----खण्ड/---खण्डों में।
3–जाँच आख्या
4–
5–

भवदीय

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

(*जो लागू हो, भरा जाय तथा जो लागू न हो, काट दिया जाय।)

प्रपत्र –1, भाग –1

पेंशन/सेवानिवृत्ति उपादान /राशिकरण के लिये प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

_____

_____

_____

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1– नाम _____

2– पिता/पति का नाम _____

3– सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :

(क) स्थायी पता _____

(ख) पत्र–व्यवहार का पता _____

4– जन्म–तिथि _____

5– सेवा प्रारम्भ करने की तिथि _____

6– सेवानिवृत्ति की तिथि _____

7– सेवानिवृत्ति के समय :

(क) धारित अन्तिम पद _____

(ख) विभाग का नाम _____

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम _____

8– मृत्यु होने की दशा में जीवनकालीन अवशेष देयों के भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का विवरण :

(क) नाम _____ (ख) मृतक से सम्बन्ध _____

(ग) पता _____

9– पेंशन का भाग तथा पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है (%, अधिकतम 40 %), धनराशि रु0 _____

10– (क) कोषागार का नाम, जहाँ से पेंशन, उपादान आदि आहरित करना चाहते हैं/चाहती हैं _____

(ख) कोषागार में प्रथम भुगतान के बाद बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित करना चाहते हैं/चाहती हैं _____ (ग) बैंक खाता संख्या _____

11– क्या सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशन पा रहा है/रही है ? यदि हाँ तो –

(क) कोषागार/बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित कर रहे हैं/रही हैं _____

(ख) विभाग का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए _____

12– (क) क्या सरकारी सेवक को सरकारी आवास आवंटित है _____

(ख) यदि हाँ तो सेवानिवृत्ति के उपरान्त भवन खाली करने की अनुमानित अवधि _____

(ग) सेवानिवृत्ति के उपरान्त की अवधियों (अधिकतम 4 माह) के किराये का नियमानुसार भुगतान (1) ट्रेजरी चालान द्वारा अथवा (2) कुल आगणित धनराशि रु0 _____ की वसूली उपादान से पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(घ) किराये की दर प्रतिमाह (1) सामान्य दर रु0 _____ (2) मानक दर रु0 _____

13–परिवार का विवरण :–

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म–तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

भवदीय / भवदीया

(हस्ताक्षर–सरकारी सेवक)

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन / सेवा उपादान तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली–भांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना–पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियां नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर–सरकारी सेवक)

दो साक्षियों जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये :–

1– नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2– नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहियें जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

हस्ताक्षर–सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

प्रपत्र –1, भाग –2

पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान के लिये प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

_____

_____

_____

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान स्वीकृत करने की कृपा करें :–

1– मृत सरकारी सेवक का नाम _____

2– मृत सरकारी सेवक के पिता/पति का नाम _____

3–मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित :

(क) अन्तिम पद _____

(ख) विभाग का नाम _____

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम _____

4– सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक _____

(मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है)

5– क्या मृत सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशन पा रहा था अथवा नहीं, यदि हाँ तो–

(क) कोषागार/बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित करता था/करती थी _____

(ख) विभाग का नाम, जहां से सेवानिवृत हुए थे/हुई थी _____

6– प्रार्थी का विवरण, जिसको पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी :

(क) नाम _____

(ख) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध _____ (ग) जन्म तिथि _____

(घ) स्थायी पता _____

(ङ) पत्र–व्यवहार का पता _____

7– प्रार्थी की मृत्यु के कारण जीवनकालीन अवशेष देयों के भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का विवरण :

(क) नाम _____

(ख) मृतक से सम्बन्ध _____

(ग) पता _____

8– मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म–तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

9– (क) कोषागार का नाम, जहाँ से पेंशन भुगतान अपेक्षित है _____

(ख) कोषागार के बाद उस बैंक का नाम, जहाँ पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं / चाहते हैं _____

(ग) बैंक खाता संख्या _____

10– अनन्तिम पारिवारिक पेंशन / अनन्तिम मृत्यु उपादान की धनराशि, यदि विभाग से स्वीकृत तथा भुगतान हुआ हो तो–

(क) अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि रु0 _____

(ख) अनन्तिम मृत्यु उपादान की धनराशि रु0 _____

11– (क) क्या मृत सरकारी सेवक को सरकारी आवास आवंटित था _____

(ख) यदि हाँ, तो मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार द्वारा भवन खाली करने की अनुमानित अवधि _____

(ग) किराये की दर प्रतिमाह (1) सामान्य दर रु0 _____ (2) मानक दर रु0 _____

(घ) मृत्यु के उपरान्त की अवधियों के किराये का नियमानुसार भुगतान (1) ट्रेजरी चालान द्वारा अथवा (2) आगणित कुल धनराशि रु0 _____ का समायोजन मृत्यु उपादान से पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

घोषणा

मैं _____ पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री स्व0 श्री / श्रीमती _____ को (विभाग / कार्यालय का नाम) _____ द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु उपादान स्वीकार करते हुए यह घोषित करती / करता हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन / मृत्यु उपादान से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर प्रार्थी या अंगूठा निशान)

दो साक्षियों, जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये :–

1– नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2– नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहियें जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष)

सील

प्रपत्र–1, भाग–3

प्रार्थी का विवरण

1– सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में सत्यापित एकल फोटो)

पासपोर्ट आकार
का
फोटो

2– सरकारी सेवक का–

(क) नाम व पदनाम ____________________

(ख) विभाग का नाम ____________________

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम ____________________

3–सरकारी सेवक के–

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1. ____________________

अथवा 2. ____________________

अंगूठा निशान 3. ____________________

*(ख)अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह 1–

2–

(घ) ऊँचाई

4– सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु उपादान हेतु–

(क) प्रार्थी का नाम ____________________

(ख) सरकारी सेवक से सम्बन्ध ____________________

5–सरकारी सेवक के जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता के–

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1. ____________________

अथवा 2. ____________________

अंगूठा निशान 3. ____________________

*(ख) अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) जन्म–तिथि –

(घ) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह 1–

2–

(ङ) ऊँचाई

हस्ताक्षर–सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

*नोट :– अंगूठा एवं अंगुलियों के निशान के लिये पुरुष के बांये हाथ के तथा महिला के दांये हाथ के निशान लिये जायं।

प्रपत्र–1, भाग–3

प्रार्थी का विवरण

1–सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में सत्यापित एकल फोटो)

पासपोर्ट आकार
का
फोटो

2–सरकारी सेवक का–

(क) नाम व पदनाम ____________________

(ख) विभाग का नाम ____________________

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम ____________________

3–सरकारी सेवक के–

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1. ____________________

अथवा 2. ____________________

अंगूठा निशान 3. ____________________

*(ख)अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह 1–

2–

(घ) ऊँचाई

4–सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु उपादान हेतु–

(क) प्रार्थी का नाम ____________________

(ख) सरकारी सेवक से सम्बन्ध ____________________

5–सरकारी सेवक के जीवित रहने अथवा मृत्यु होने, दोनों दशाओं में पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता के–

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1. ____________________

अथवा 2. ____________________

अंगूठा निशान 3. ____________________

*(ख) अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) जन्म–तिथि –

(घ) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह 1–

2–

(ङ) ऊँचाई

हस्ताक्षर–सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

*नोट :– अंगूठा एवं अंगुलियों के निशान के लिये पुरुष के बांये हाथ के तथा महिला के दांये हाथ के निशान लिये जायं।

प्रपत्र–1, भाग–4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम व पदनाम ____________________

क्र0 सं0	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायं) से (दिनांक) तक (दिनांक)	पदनाम तथा कार्यालय का नाम	असाधारण, अवैतनिक–अवकाश, निलम्बन, अन्य व्यवधान एवं प्रतिनियुक्ति की अवधियों का विवरण	स्तम्भ–4 में दर्शायी गयी अवधि पेंशन हेतु अर्ह है अथवा नहीं	यदि कोई अवधि पेंशन हेतु अर्ह नहीं है, तो उसका कारण सहित विवरण दिया जाय
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर–सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

पेंशन प्रपत्र–1, भाग–4 (अ)

पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण की जाँच आख्या

पेंशन का प्रकार : अधिवर्षता/पारिवारिक/स्वैच्छिक/अन्य

श्री/श्रीमती ———————— पदनाम ———————— विभाग ————————

———————— के कार्यालय/संस्था ———————— से दिनांक ———————— को

सेवानिवृत्त/दिवंगत, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण की जाँच आख्या निम्नवत् प्रस्तुत है :–

1. सेवा में प्रवेश का विवरण :

(अ) प्रथम नियुक्ति की तिथि ———————— (ब) पदनाम ———————— (स) वेतनमान ————————

(द) मूल वेतन ———————— (य) कार्यालय का नाम ————————

2. सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय अन्तिम पद का विवरण :

(अ) वेतनमान ———————— (ब) मूल वेतन ———————— (स) महंगाई भत्ता की दर (% में) ————————

(द) दस माह का औसत वेतन रु0 ———————— (य) अन्तिम वार्षिक वेतन वृद्धि का माह ————————

3. अर्हकारी सेवा का विवरण :

(अ) जन्म तिथि ———————— (ब) सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि ————————

(स) सेवा अवधि——वर्ष ——माह ——दिवस (द) अनर्ह सेवा अवधि——वर्ष ——माह ——दिवस

(य) अतिरिक्त सेवा अवधि——वर्ष——माह——दिवस (र) कुल सेवा अवधि——वर्ष——माह——दिवस

(ल) कुल अर्ह छः माहियों की संख्या ————————

4. स्थायीकरण की तिथि ———————— पदनाम ———————— वेतनमान ————————
5. प्रपत्र–1, भाग–1/प्रपत्र–1, भाग–2 के सभी कॉलम पूर्ण हैं/नहीं हैं।
6. प्रपत्र–1, भाग–3 दो प्रतियों में है/नहीं है।
7. प्रपत्र–1, भाग–4 पर सेवा का विवरण पूर्ण रूप से सही भरा है/नहीं भरा है।
8. (क) प्रपत्र–1, भाग–5 पर आगणन प्रस्तुत है/नहीं है।
   (ख) प्रस्तर–16 व 26 के अनुसार किसी प्रकार की वसूली ग्रेच्यूटी से की जानी है/नहीं की जानी है।
9. क्षति पूर्ति बन्ध–पत्र–1/क्षति पूर्ति बन्ध–पत्र–2 नियमानुसार संलग्न है/नहीं है।
10. (क) पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित है/नहीं है।
    (ख) विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरण अग्रसारित किये हैं/नहीं हैं।
    (ग) सक्षम प्राधिकारी का पदनाम व कार्यालय
11. अन्तिम अदेयता प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–2) संलग्न है/संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
12. पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष, भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का नाम व सम्बन्ध
13. पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु उपरान्त जीवनकालीन अवशेष, भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का नाम व सम्बन्ध
14. पारिवारिक पेंशन की स्थिति में मृतक सरकारी सेवक का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।
15. अन्तिम पेंशन व ग्रेच्यूटी की धनराशि, जिसका समायोजन अपेक्षित है :
    (क) अन्तिम पेंशन की धनराशि
    (ख) अन्तिम ग्रेच्यूटी की धनराशि
16. राशिकरण के लिए आवेदन किया गया है/नहीं है।
17. सम्पूर्ण सेवायें सत्यापित हैं/नहीं हैं।

18. वाह्य सेवाओं का विवरण :

(क) प्रतिनियुक्ति अवधि (कब से कब तक)

(ख) परिषदीय सेवाओं की अवधि (कब से कब तक)

(ग) अशासकीय सेवाओं की अवधि (कब से कब तक)

(घ) अंशदान जमा की जाने की पुष्टि में ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न है/नहीं है।

19. प्रकरण के सम्बन्ध में यदि कोई वांछित सूचना हो तो उल्लेख करें

20. कोषागार का नाम जहाँ पेंशन प्राप्त करनी है

21. बैंक का नाम (जहाँ से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं)

22. खाता संख्या ————

23. समय–समय पर लागू पुनरीक्षित/संशोधित/समयमान/चयन/वैयक्तिक/प्रोन्नत/वरिष्ठ वेतनमान तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नतियों का विवरण :

पुनरीक्षित/समयमान चयन/प्रोन्नत/वैयक्तिक वेतनमान व पदोन्नतियों का विवरण	विकल्प अथवा प्रभावी तिथि	वर्तमान वेतनमान	विकल्प/प्रभावी तिथि को मूल वेतन	स्तम्भ–2 के अनुसार स्वीकृत वेतनमान	निर्धारित वेतन	पदोन्नति/प्रत्यावर्तन पदनाम/अन्य विवरण	सेवा पुस्तिका का भाग व पृष्ठ संख्या	क्या विस्तृत वेतन निर्धारित पत्र व आदेश संलग्न है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पुनरीक्षित वेतनमान 1–4–1965								
2. (अ) 1–4–65 से 1–8–72 के बीच संशोधित वेतनमान, यदि हो (ब) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण								
3. पुनरीक्षित वेतनमान 1–8–1972								
4. (अ) 1–8–72 से 1–7–79 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण (स) अन्य विवरण								
5. पुनरीक्षित वेतनमान 1–7–1979								
6. (अ) 1–7–79 से 1–1–86 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) समयमान/चयन/प्रोन्नत/वैयक्तिक वेतनमान (स) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण (द) अन्य विवरण								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. पुनरीक्षित वेतनमान 1–1–1986								
8. (अ) 1–1–86 से 1–1–96 के बीच संशोधित वेतनमान यदि हो (ब) पदोन्नतियों का विवरण (स) समयमान / चयन / प्रोन्नत / वैयक्तिक स्वीकृत वेतनमान (द) पदोन्नतियों का विवरण (य) अन्य विवरण								
9. पुनरीक्षित वेतनमान 1–1–1996								
10. (अ) 1–1–96 के पश्चात् संशोधित वेतनमान यदि स्वीकृत (ब) पदोन्नतियों का विवरण (स) समयमान / चयन / प्रोन्नत / वैयक्तिक स्वीकृत वेतनमान (द) पदोन्नतियां यदि हुई हों तो उनका विवरण (य) अन्य विवरण								

हस्ताक्षर
जांच अधिकारी

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / लेखाधिकारी
(सील सहित)

नोट– समय–समय पर वेतनमानों के परिवर्तन होने पर उनसे सम्बन्धित कार्यालयादेश व वेतन आगणन प्रपत्र, सेवा पुस्तिका के साथ अवश्य संलग्न किया जाय।

संलग्नक :– शासनादेश संख्या 185/XXVII(7)/2006, दिनांक 01–09–2006

संशोधित प्रपत्र–1

कोषागार द्वारा पेंशन भोगी के खाते में सीधे चेक द्वारा प्रतिमाह देय पेंशन की धनराशि जमा करने का आवेदन–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ———— पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ———— निवासी ———— पेंशन भुगतानादेश संख्या (पी0पी0ओ0 संख्या) ———— श्रेणी (उत्तर प्रदेश सरकार/मिलेट्री/रेलवे/राजनैतिक/केन्द्रीय/अन्य सरकार नाम सहित)———— रुपये मात्र की देय धनराशि बैंक में कोषागार द्वारा सीधे जमा करने हेतु बैंक ———— शाखा———— में खाता संख्या ———— अपने नाम (एकल खाता) में खुलवा लिया है।

2. मैं, सशपथ स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त खाते को मैं भविष्य में भी एकल खाता से भिन्न संचालित नहीं करूंगा।

3. यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं अन्यत्र किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/राज्य सहायता प्राप्त संगठन/संस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर कोई धनोपार्जन नहीं करता हूँ/करती हूँ (महिलाओं के प्रकरण में पुनर्विवाह न करने की पुष्टि की जाय।)

4. मेरी मृत्यु होने की दशा में पेंशन सम्बन्धी जीवनकालीन अवशेष भुगतान श्री/श्रीमती/कुमारी ———— ———— पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (सम्बन्ध) निवासी ———— ———— को किया जाय।

5. यदि उपरोक्त प्रमाण से भिन्न कोई तथ्य सिद्ध होता है तब उसका पूरा दायित्व मुझ पर होगा एवं अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित मेरे/मेरे वारिस के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किया जा सकेगा।

दिनांक :

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर ————

पी0पी0ओ0 संख्या ————

कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी के हस्ताक्षर

(नये प्रकरण में कार्यालयाध्यक्ष, पुराने पेंशन भोगी जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के प्रकरण में कोषाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। नये पेंशन प्रकरण में पी0पी0ओ0 संख्या पेंशन स्वीकृति करने वाले अधिकारी द्वारा भरी जाय।)

टिप्पणी– यदि किसी कारणवश पेंशन के आवेदन–पत्र के साथ प्रपत्र–1 न भेजा जाय तब इस कारण से पेंशन स्वीकृति न रोकी जाय, अपितु निर्देश दे दिया जाय कि कोषागार में प्रथम उपस्थिति के समय यह प्रपत्र भरा लिया जाय।

प्रपत्र–1, भाग–5

कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

(जो लागू हो वही भरा जाये, अनावश्यक को काट दिया जाय)

1–सरकारी सेवक का नाम _____

2–जन्म–तिथि _____

3–सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि _____

4–सेवानिवृत्ति तिथि/मृत्यु तिथि _____

5–कुल अवधि (4–3)	वर्ष	माह	दिन
6–सैन्य सेवा, जो पेंशन के लिये अर्ह है, की अवधि	वर्ष	माह	दिन
7–अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया	वर्ष	माह	दिन
8–कुल सेवा अवधियां (5+6+7)	वर्ष	माह	दिन
9–पेंशन अनर्ह सेवा अवधियां–			
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा	वर्ष	माह	दिन
(ख) सेवा में विच्छेद	वर्ष	माह	दिन
(ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि	वर्ष	माह	दिन
(घ) कोई अन्य सेवा, जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाय)	वर्ष	माह	दिन
योग (क+ख+ग+घ)	वर्ष	माह	दिन

10– (क) पेंशन हेतु अर्ह सेवा की अवधि (8–9) वर्ष माह दिन

(ख) कुल अर्ह छमाहियों की संख्या–

11–पेंशन का प्रकार– अधिवर्षता/स्वैच्छिक/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/प्रतिकर/अशक्तता/पारिवारिक

12– (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित परिलब्धियां रु0

(ख) महंगाई भत्ते की दर (%) रु0

(ग) औसत परिलब्धियों का आंगणन

अन्तिम दस माह में प्राप्त/प्राप्त होने वाली परिलब्धियां

धारित पद का नाम	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियां मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित
योग (स्तम्भ 4 का)			÷ 10 = रु0

13–पेंशन का आंगणन : $\frac{\text{10 माह का औसत वेतन} \times \text{छमाहियों की संख्या (अधिकतम 66 छमाहियां)}}{2 \times 66}$ = रु0 _____

14–सेवा उपादान का आंगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) रु0 _____

15–(अ) सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान का आंगणन ____________

(ब) आगणित धनराशि रु0 ____________

16–सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो) रु0 ____________

17–सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान की शुद्ध धनराशि रु0 ____________

18–पारिवारिक पेंशन का आंगणन :– (क) सामान्य दर (वेतन का 30% की दर से) रु0 ____________

(ख) 7 वर्ष की अनवरत सेवा के उपरान्त मृत्यु के दि0 ________ से 7 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो रु0 ____________ तथा अनुमन्य राहत, तत्पश्चात् सामान्य दर पर रु0 ____________ तथा अनुमन्य राहत

(ग) 7 वर्ष की अनवरत सेवा से कम वर्ष की सेवा में मृत्यु की दशा में सामान्य दर रु0 ____________

19–पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक ____________

20–पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है (%) रु0 ____________

21–राशिकृत मूल्य का आंगणन रु0 ____________

22–राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रु0 ____________

23–कोषागार का नाम, जहां से पेंशन/सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान/राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे ____________

24–अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम पारिवारिक पेंशन (यदि स्वीकृत तथा भुगतान की गई हो) रु0 ____________

25–अनन्तिम उपादान/अनन्तिम मृत्यु उपादान (यदि स्वीकृत तथा भुगतान की गई हो) रु0 ____________

26–पेंशन प्रपत्र, प्रेषण के दिनांक को सेवा निवृत्ति तिथि के ठीक ^ माह पूर्व की निम्न विभिन्न मदों की अवशेष देय धनराशियों तथा विभागीय कार्यवाहियों की स्थितियों का विवरण :–

(1) भवन निर्माण अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 ____________ की धनराशि देना शेष है।

(2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 ________ की धनराशि देना शेष है।

(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम की कोई धनराशि शेष नहीं है/रु0 ________ की धनराशि देना शेष है।

(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है दिनांक ____________ तक रु0 ________ की धनराशि किराये के रूप में देना अवशेष है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक ____________ तक रु0 ________ शेष रह जायेगा/सेवानिवृत्ति के बाद ____ माह (अधिकतम 4 माह) तक सरकारी आवास में रहने पर कुल किराया रु0 ____________ देय है।

(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 ____________ की धनराशि देय है।

(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 ____________ की धनराशि देय है।

(7) अन्य मदों में कोई धनराशि देय नहीं है/रु0 ____________ की धनराशि देय है (मद स्पष्ट की जाय)।

उपरोक्त (1) से (7) उप प्रस्तरों में प्रदर्शित कुल देय धनराशियों रु0 ____________ में से रु0 ____________ की वसूली सेवानिवृत्ति तिथि तक कर ली जायेगी तथा अवशेष वसूल न हो सकने वाली कुल धनराशि रु0 ____________ की वसूली श्री/श्रीमती ____________ से नगदी के रूप में की जायेगी अथवा पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपादान/मृत्यु उपादान से कर ली जायेगी (इस सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा देयों की वसूली/समायोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये।)

(8) श्री/श्रीमती ____________ के विरुद्ध कोई न्यायिक/प्रशासनिक एवं विभागीय जाँच लम्बित नहीं है/जांच लम्बित है, जो निम्नवत् है :–

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाय।)

हस्ताक्षर–सक्षम उच्च प्राधिकारी
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)
(सील सहित)

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र–1
(सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों द्वारा भरा जायेगा)

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the .....day of the month.....year 20 . .
Corresponding to Saka Samvat the .....day of the month.....year 20 . .
by Sri/Srimati.....S/o/W/o..... ....
Resident of.....(Bounden) IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND (called "the Governor").

Whereas :

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttarakhand (called "the Government") as .....(designation) in..... ..... (name of office).

2. The Bounden above named has retired/is due for retirement on.....

3. A 'No Demand Certificate' is required to be issued in favour of the Bounden by ....before sanction of pension, gratuity, etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

4. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any money found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden.

Now this deed witnesses that--

(1) In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity, etc. to the Bounden before issue of 'No Demand Certificate' in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all money which may be discovered, within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, to be due against him.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of.....which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has signed hereunder on the day, month and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses :

(1) ..... *Signed by :*

Address .....

(2) ..... Bounden

Address.....

Counter Sign.

Head of Office/Deptt.
Seal

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र–2

(पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा भरा जायेगा)

THIS DEED OF INDEMNITY is made on the .....day of the month..... Year 20 . .
Corresponding to Saka Samvat the .....day of the month..... Year 20 . .
by (1) Srimati/Sri..... ..... W/o/H/o/S/o/D/o Late Sri/Srimati.....
R/o..... (Bounden I) * and (2) II Sri.....
S/o.....R/o.....
.....(Bounden), (jointly called the "Boundens")
IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND (called "the Governor").

Whereas :

1. Late Srl/Srimati..... was in the service of the Government of Uttarakhand (Called the "Government") as..... (designation) in.....
.....(name of office).

2. Late Sri/Srimati..... (called "deceased") died on .....and family pension and death-cum-retirement gratuity is to he sanctioned to his family.

3. Bounden I is the .....(relationship with deceased), if necessary (and Bounden II) is the.....(relationship with deceased) and is/are entitled to the family pension and gratuity.

4. A 'No Demand Certificate' is required to be issued in regard to the deceased by.....
.....before sanction of family pension, gratuity, etc. to the Bounden, but the said certificate could not be issued so far and scrutiny of records for that purpose is likely to take further time.

5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two years from the date of his death.

Now this deed witnesses that--

(1) In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity, etc. to the Bounden before issue of 'No Demand Certificate' the Bounden hereby covenants if necessary (jointly and severally covenant), with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death, subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of.....which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from her/him/them as arrears of land revenues.

In witness to the above written bond and the conditions thereof the Bounden has/have signed hereunder on the day, month and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witnesses :

(1) .....

Address .....

(2) .....

Address.....

Signed by :

Bounden I
Bounden II

Counter Sign.

Head of Office/Deptt.
Seal

प्रपत्र–2
अन्तिम देय प्रमाण–पत्र

प्रेषक,

_____

_____

_____

सेवा में,

अपर निदेशक,
कोषागार एवं पेंशन,

_____

_____

संख्या दिनांक

विषय :– पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री/श्रीमती _____ पदनाम _____ के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या _____ दिनांक _____ द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। श्री/श्रीमती _____ द्वारा सेवानिवृत्त होने पर दिनांक _____ को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2–श्री/श्रीमती _____ के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में प्रपत्र–1, भाग–5 के प्रस्तर–12 में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ/निम्न परिवर्तन हुआ है :–

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का पुनरीक्षित आंगणन

क्र0सं0	माह का नाम	परिलब्धियां
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
योग		

औसत परिलब्धियां

(योग ÷ 10)	

3–प्रपत्र–1, भाग–5 के प्रस्तर–26 के (1) से (7) उप प्रस्तरों में श्री/श्रीमती _____ के विरुद्ध निम्न मदों में उनके सम्मुख निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :–

(1) भवन–निर्माण अग्रिम रु0 _____
(2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रु0 _____
(3) किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रु0 _____
(4) सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि रु0 _____
(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 _____
(6) विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 _____
(7) अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि रु0 _____

योग कुल रु0 _____

(8) भाग–5 के प्रस्तर–26 के प्रस्तर (8) में न्यायिक/वैभागिक/प्रशासनिक जाँच की स्थिति निम्न थी :–

4–उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपर्युक्त प्रस्तर–3 में (1) से (7) उप प्रस्तरों में दिखाई गई मदों के अधीन सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/निम्न धनराशियां शेष हैं :–

(1) भवन–निर्माण अग्रिम रु0 _____
(2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम रु0 _____
(3) किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रु0 _____
(4) सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि रु0 _____
(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 _____
(6) विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि रु0 _____
(7) अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि रु0 _____

योग कुल रु0 _____

उपरोक्त अवशेष धनराशि कुल रु0 _____ का समायोजन पेंशन/उपादान से कर लिया जाय।

(8) सेवानिवृत्त के दिनांक को लम्बित न्यायिक/वैभागिक/प्रशासनिक जाँच की स्थिति शून्य है/जाँच के पश्चात् अन्तिम निर्णयों का उल्लेख निम्नानुसार है :–

(यथा श्री/श्रीमती _____ के पेंशन के _____ भाग को कम करने/कुल उपादान रोकने/कुल स्वीकृत उपादान में से रु0 _____ की कटौती करने/राशिकरण रोकने/राशिकरण में से रु0 _____ की कटौती करने/अन्य कोई आदेश/सेवा से पदच्युत होने के कारण कोई सेवानिवृत्तिक लाभ न दिये जाने के आदेश हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।)

5–सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या _____ दिनांक _____ के द्वारा रु0 _____ की अनन्तिम पेंशन प्रतिमाह तथा उपादान रु0 _____ की धनराशि अनन्तिम सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है और इसका भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है/ इसका भुगतान इस कार्यालय द्वारा कर दिया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को उपरोक्त प्रस्तर–4 व 5 में अंकित कुल रु0 _____ की कटौती करने के पश्चात् अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान स्वीकृत कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

संख्या ______________________ दिनांक ______________

प्रतिलिपि :–

1–कोषाधिकारी ____________ को इस आशय से प्रेषित है कि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा–निवृत्ति/मृत्यु उपादान से उपरोक्त के अनुसार कटौती करके (यदि अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के स्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके उपादान की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2–श्री/श्रीमती ______________________ (पेंशनर का नाम) ______________

______________________ (पूर्ण पता) को सूचनार्थ प्रेषित।

ज0स0प0क0पें0नि0

भवदीय

(हस्ताक्षर–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)
(सील सहित)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 लेखा ... हकदारी/368–13–10–2006–1,000 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2006